न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
201/2022	दावा 88,91 RTA	15.11.22	11.03.2024

1. विनोद कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी राणासर तहसील व जिला चूरू हाल निवासीगण कोटवाद नाथोतान तहसील व जिला चूरू
2. लीलाधर पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी राणासर तहसील व जिला चूरू हाल निवासीगण कोटवाद नाथोतान तहसील व जिला चूरू
3. लिछमी पत्नी भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण राणासर तहसील व जिला चूरू हाल निवासीगण कोटवाद नाथोतान तहसील व जिला चूरू

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू

– प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डुडी वादीगण
2. पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि कृषि भूमि ख. नं. 104, 105, 106, 270, 283, 429, 429/527, 449, 450 रोही मौजा राणासर तहसील व जिला चूरू के संयुक्त खातेदारी काबिज काश्तकारी की भूमि है वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में विनोद कुमार के स्थान पर कालुराम, लीलाधर के स्थान पर अनिल, लिछमी के स्थान पर लक्ष्मीदेवी गलत रूप से दर्ज हुआ है। उक्त वादगत भूमि पैतृक सम्पति है। वादीगण के दस्तावेजी नाम विनोद कुमार,लीलाधर व लिछमी ही है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि वादीगण का नाम कालुराम के स्थान पर विनोद कुमार, अनिल के स्थान पर लीलाधर, लक्ष्मीदेवी के स्थान पर लिछमी दुरूस्त किया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते वादीगण का नाम कालुराम के स्थान पर विनोद कुमार, अनिल के स्थान पर लीलाधर, लक्ष्मी देवी के स्थान पर लिछमी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजी राशन कार्ड, आधार कार्ड, डाइविंग लाईसेंस आदि में वादीगण के नाम क्रमशः विनोद कुमार, लीलाधर, लिछमी ही है। तहसीलदार चूरू की प्राप्त रिपोर्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:57:23 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि ख. नं. 104, 105, 106, 270, 283, 429, 429/527, 449, 450 रोही मौजा राणासर तहसील व जिला चूरू में अंकित कालुराम का वास्तविक नाम विनोद कुमार, अनिल का वास्तविक नाम लीलाधर, लक्ष्मी देवी का वास्तविक नाम लिछमी ही है तथा तहसीलदार चूरू ने उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है।

हमने पत्रावली, पेश दस्तावेजों, पक्षकारों के शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि कृषि भूमि ख. नं. 104, 105, 106, 270, 283, 429, 429/527, 449, 450 रोही मौजा राणासर तहसील व जिला चूरू राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम कालुराम के स्थान पर विनोद कुमार, अनिल के स्थान पर लीलाधर, लक्ष्मीदेवी के स्थान पर लिछमी ही है जो राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से अंकित हो गये। वादीगण द्वारा पेश दावा एवं दावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पैतृक कृषि भूमि है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम गलत दर्ज चले आने के वादीगण को के.सी.सी. व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नामों को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादीगण का नाम दुरूस्त किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार करने योग्य है।

निर्णय

वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि कृषि भूमि ख. नं. 104, 105, 106, 270, 283, 429, 429/527, 449, 450 रोही मौजा राणासर तहसील व जिला चूरू में वादीगण के नाम कालुराम के स्थान विनोद कुमार, अनिल के स्थान लीलाधर, लक्ष्मीदेवी के स्थान पर लिछमी किये जाने कि घाषणा की जाती है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरुस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपाल मजिस्टेट
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:57:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू कैम्प घण्टेल

ब इजलास : श्री सक्षम गोयल आई.ए.एस.

1. विनोद कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी राणासर तहसील व जिला चूरू हाल निवासीगण कोटवाद नाथोतान तहसील व जिला चूरू
2. लीलाधर पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी राणासर तहसील व जिला चूरू हाल निवासीगण कोटवाद नाथोतान तहसील व जिला चूरू
3. लिछमी पत्नी भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण राणासर तहसील व जिला चूरू हाल निवासीगण कोटवाद नाथोतान तहसील व जिला चूरू

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू

— प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नं. 201 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्र डुडी एडवोकेट वादीगण, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—

वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि कृषि भूमि ख. नं. 104, 105, 106, 270, 283, 429, 429/527, 449, 450 रोही मौजा राणासर तहसील व जिला चूरू में वादीगण के नाम कालुराम के स्थान विनोद कुमार, अनिल के स्थान लीलाधर, लक्ष्मीदेवी के स्थान पर लिछमी किये जाने कि घाषणा की जाती है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11.माह मार्च सन् 2024 को जारी की गई।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपाल मजिस्टेट
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:57:23 IST
Reason: SelfAttested